न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 146/2015

बलविन्द्रकौर पुत्री प्रीतमसिंह पत्नी जगदीशसिंह जाति मजहबी निवासी चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर । —अपीलार्थी

बनाम

1. गुरमेलसिंह } पिसरान संतोखसिंह जाति मजहबी निवासी मटीली राठान
2. बग्गासिंह } तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर । ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 30.06.2015

उपस्थितः—

श्री गुरचरणसिंह अभिभाषक अपीलार्थी

श्री हंसराज तनेजा अभिभाषक रेस्पो.

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 26.02.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/वादीगण ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा.का.अ. की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि चक 15 एफ बड़ा के खाता संख्या 32 मु.न. 36, 37 की कुल 24.10 बीघा भूमि में से 1/4 हिस्सा प्रतिवादी/अप्रार्थी वाद के निर्णय तक रहन बैय व मुन्तकिल नहीं करे । अप्रार्थी ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि अप्रार्थी द्वारा जरिये बैयनामा कयशुदा है एवं कब्जा काश्त में है । प्रार्थी का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

26/2/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 30.06.2015 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए विवादित 24.10 बीघा भूमि में से 1/4 हिस्सा को रहन बैय आदि से अन्तरण नहीं करने से पाबंद कर दिया । जिसके विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि अपीलांट के क्रयशुदा है एवं अपीलांट के कब्जा काश्त में चली आ रही है, जिसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । इसके अलावा अधी.न्यायालय ने धारा 212 आरटीए के तीनों कारकों का कोई विवेचन किये बिना ही रेस्पो. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जबकि इनका विवेचन किया जाना आज्ञापक है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि वाद के निर्णय से पूर्व यदि विवादित भूमि का बेचान हो जाता है तो अनावश्यक रूप से विवाद बढ़ने की सम्भवना रहेगी एवं वादीगण को वाद का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा। ऐसी स्थिति में अधी.न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया है उसमें कोई विधिक भूल नहीं हुई है। अतः अपील खारिज की जावे ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावल का अवलोकन किया गया ।

अधी.न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी.न्यायालय में प्रार्थीगण द्वारा धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र पेश करने पर अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अधी.न्यायालय ने प्रार्थना पत्र एवं जबाव प्रार्थना के आधार पर धारा 212 आरटीए के तीनों कारकों यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं ना पूरा होने वाले नुकसान का विवेचन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि इन तीनों कारकों का विवेचन किया जाना आज्ञापक है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से अपील अपीलांट

26/2/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

स्वीकार की जाती है एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.06.2015 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर